

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम विलाश पुत्र लालमनी सोनकर नि० सुखई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-187/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मीना पत्नी स्व० वासुदेव नि० खटिकन पुरवा धनोहरी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-230/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.06.2021

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मु0अ0सं0-317/19, धारा 419,420,467,468,471,504 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त घनश्याम मौर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी विजयपाल पुत्र तुलसीराम नि0 धर्मपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा से वीजा बनवाने के नाम पर पैसे की धोखाधड़ी की थी तथा फर्जी वीजा बनवाया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. घनश्याम मौर्या पुत्र गया प्रसाद नि0 हथवा करधा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-317/19, धारा 419,420,467,468,471,504 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.06.2021

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मु0अ0सं0— 150/21, धारा 363,366,376 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लवकुश पुत्र अनोखीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. लवकुश पुत्र अनोखीलाल नि0 भंगहा बनकटी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—150/21, धारा 363,366,376 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 विनय पाण्डेय मय टीम।